

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2023
मार्च
-कार्यालय-आदेश-

प्रदेश के विभिन्न नगरों में स्थित सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित किये जाने के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन तथा राज्य कर विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों, नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं एवं सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों इत्यादि का अनुशीलन करते हुए व्यवहारिक नीति तैयार किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है :-

1. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2. आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0	सदस्य
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य एवं संयोजक
5. श्री एन.आर.वर्मा, सलाहाकार, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6. श्री जी0एस0 गोयल, सलाहाकार, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7. फिल्म बन्धु के प्रतिनिधि	सदस्य
8. सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि	सदस्य

2- समिति द्वारा सुविचारित प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Signed by नितिन रमेश
गोकर्ण

Date: 01-03-2023 (नितिन रमेश गोकर्ण):20:23

Reason: Approved

संख्या-आई/283655(1)/2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
8. श्री एन.आर.वर्मा, सलाहाकार, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. श्री जी0एस0 गोयल, सलाहाकार, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
10. फिल्म बन्धु, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
11. सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन उ0प्र0 द्वारा निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
 प्रमुख सचिव